

प्रेस नोट दिनांक 23-02-2021

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, मौके से एक मोटर साइकिल (हीरो डीलक्स), दो अदद चाकू, एक महिला पर्स, एक अंगूठी सोने की, एक हाथ का ब्रेस्लेट गोल्डन कलर, एक गले का सेट, दो कानो के टॉप्स रंग सफ़ेद, दो कानो के टॉप्स पीली धातु, एक पीली धातु टॉप्स का कैप(आर्टिफिसियल), एक लेकमी काजल,

एक स्पेशल लिपस्टिक बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी सदर बाजार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान दिनांक 22.02.2021 को समय करीब 20.15 बजे मुखबिर खास की सूचना पर बाघ बगीचे वाले रास्ते से दो शातिर अभियुक्तों को अवैध चाकू व एक अदद चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। जो रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है, उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.02.2021 को ओसिस होटल के बाहर से महिला का पर्स उस समय चोरी कर लिया गया था जब वह गाडी से उतर कर अपने कपडे सही कर रही थी। घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस एव एसओजी टीम का सहयोग लेकर घटना मे लिप्त वास्तविक अपराधियों का पता लगाने मे सफलता मिली पर्स मे ही दो मोबाइल फोन क्रमश एप्पल व सैमसंग के, अंगूठी सोने की, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, मेकअप का सामान था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम –

अपराधिक इतिहास अभियुक्त वाजिद उर्फ़ खब्बा पुत्र जाहीद निवासी मविकला थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

- 1-मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- 2-मु0अ0सं0 810/19 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- 3-मु0अ0सं0 99/21 धारा 379 भादवि झबरेडा हरिद्वार उत्तराखण्ड
- 4-मु0अ0सं0 382/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
- 5-मु0अ0सं0 94/21 धारा 411/420/467/468/471/379 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- 6-मु0अ0सं0 96/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर
- 7-मु0अ0सं0 79/15 धारा 398/401 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
- 8-मु0अ0सं0 80/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र चमन लाल निवासी चुनेहटी गाड़ा थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।

- 1-मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- 2-मु0अ0सं0 99/21 धारा 379 भादवि झबरेडा हरिद्वार उत्तराखण्ड
- 3-मु0अ0सं0 382/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
- 4-मु0अ0सं0 94/21 धारा 411/420/467/468/471/379 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- 5-मु0अ0सं0 95/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर
- 6-मु0अ0सं0 80/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एक अदद मोटरसाइकिल(हीरो डीलक्स), जो थाना झबरेडा हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से चोरी किया जाना पाया सम्बन्धित मु0अ0सं0 99/21 धारा 379 भादवि थाना झबरेडा हरिद्वार, उत्तराखण्ड
- 2-दो अदद चाकू, सम्बन्धित मु0अ0सं0 95/21 व मु0अ0सं0 96/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार, स0पुर
- 3-दो अदद मोबाइल (01 आईफोन एप्पल व 01सैमसंग एस 7) सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 4-एक महिला पर्स एक अंगूठी सोने की, सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 5-एक हाथ का ब्रेस्लेट गोल्डन कलर, सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर एक गले का सेट,
- 6-दो कानो के टॉप्स रंग सफ़ेद, सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 7- दो कानो के टॉप्स पीली धातु, सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 8-एक पीली धातु टॉप्स का कैप(आर्टिफिसियल), सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 9-एक लेकमी काजल, सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 10-एक स्पेशल लिपस्टिक बरामद सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 11- 7000 रूपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार, स0पुर
- 12-एक इन्डीकेशन मीटर

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/टीम के नाम :-

1-व0उ0नि0 श्री नीशू तोमर थाना सदर बाजार, स0पुर	5-उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना सदर बाजार, स0पुर
2-उ0नि0 श्री जयवीर सिंह प्रभारी एसओजी मय टीम, स0पुर	6-का0 1164 अनुज थाना सदर बाजार, स0पुर
3-उ0नि0 श्री अजब सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम, स0पुर	7-का0 944 अंकित थाना सदर बाजार, स0पुर
4-उ0नि0 श्री के0पी0सिंह थाना सदर बाजार, स0पुर	8-का0 1008 कपिल कुमार थाना सदर बाजार, स0पुर

प्रेस विज्ञप्ति:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगणों को आजीवन सश्रम कारावास व प्रत्येक पर 1लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.01.2009 को वादी विजय सडाना पुत्र वेदप्रकाश नि० म०न०-बी 134 हरि मन्दिर रोड मौ० आवास विकास थाना सदर बाजार के लडके सहजल सडाना को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से अपहरण कर ले जाने की सूचना पर मु०अ०स० 105/09 धारा 364ए, भादवि थाना सदर बाजार पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में विवेचना दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-हरवीर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह नि० ग्राम ढावा थाना बेहट स०पुर 2-उदयवीर पुत्र नन्दपाल नि० गडौला थाना गागलहेडी स०पुर 3-सुधीर पुत्र महीपाल नि० शुक्रताल थाना नकुड स०पुर 4-अनुज पुत्र सुदेश नि० शुक्रताल थाना नकुड स०पुर पर धारा 302, 34, 201 भादवि की बढौत्तरी कर अभियोग एसटी नं० 548/09 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-12 स०पुर में विचाराधीन था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-12 स०पुर द्वारा दिनांक 23.02.2021 को अभियुक्त 1-हरवीर सिंह पुत्र प्रीतम 2-उदयवीर पुत्र नन्दपाल 3-सुधीर पुत्र महीपाल को मु०अ०स० 105/2009 धारा 302,34,201,364ए भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन संश्रम कारावास व प्रत्येक पर 1 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व अभियुक्त अनुज पुत्र सुदेश को दोष मुक्त किया गया।